

राष्ट्रीय गंगा नदी अधिकार अधिनियम 2016 (प्रस्तावित)

गंगा एक्शन परिवार द्वारा प्रस्तुत



www.GangaAction.org

For Further Details, Contact:

Pujya Swami Chidanand Saraswati (Muniji): swamiji@parmarth.com

+91-9411101111, +91 (135)2440055, +91-9412040000

+91-7579029225, +91-7830454761

Parmarth Niketan, PO Swargashram, Rishikesh (Himalayas), Uttarakhand 249304

जल के लिये मानव एवं प्राकृतिक समुदायों के अधिकार

लम्बे समय से प्राकृतिक समुदाय की जरूरत की तुलना में मानवीय समुदाय की जरूरत के प्रति कानून के द्वारा भिन्न प्रकार से व्यवहार किया गया है। फिर भी हम जल के लिये मानव के अधिकारों की रक्षा तब तक नहीं कर सकते जब तक कि प्रकृति को स्वस्थ व समृद्ध बनाने वाले जल-आधारित अधिकारों की रक्षा नहीं करते। मानव के साथ-साथ सम्पूर्ण प्राणि जगत का जीवन अपने अस्तित्व एवं पूर्ण विकास के लिये प्रदूषण रहित जल पर ही निर्भर है।

हमारी राष्ट्रीय नदी जिस पर लगभग 500 मिलियन लोगों और पेड़ पौधों व वन्य जीवों की असंख्य प्रजाति का जीवन निर्भर है, विश्व में सबसे ज्यादा खतरे वाली परिस्थितिकी तंत्र में आती है। गंगा जो हमारी पहचान के महत्व के लिये बेहद जरूरी है अब करोड़ों लीटर रासायनिक तत्वों एवं सीवरेज के कारण दूषित हो चुकी है। इसके जल को इस हद तक खींच लिया जाता है कि पूरे वर्ष जल के अभाव में रहती है। फलतः संविधान के अनुच्छेद 21 में उल्लिखित मौलिक अधिकार का प्रतिदिन उल्लंघन होता रहता है। इसका परिणाम यह होता है कि मौत के आगोश में ले जाने वाली बीमारियां जैसे कि कालरा, टायफाइड, कैंसर आदि दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं।

हमारी राष्ट्रीय नदी के पतन एवं जल जनित बीमारियों के उत्सर्जन के पीछे के प्रमुख कारण में यह समानता है कि गंगा नदी बेसिन की जीवन दायिनी पारिस्थितिकी तंत्र को वर्तमान न्यायिक संरचना में बिना अधिकार के स्थापित किया गया है।

दूसरे शब्दों में, हमारे पर्यावरणीय कानून जल एवं अन्य परिस्थितिकी तंत्र के प्रयोग एवं दोहन का नियमन तो करते हैं, उनकी रक्षा नहीं करते।

शुद्ध जल के क्षय के कारण, प्रजातियों का विनाश होता है, वैश्विक ताप बढ़ता है। इससे स्पष्ट है कि प्रकृति एवं मनुष्य के बीच मौलिक रिश्ता स्थापित किये बिना प्रजाति के रूप में हमारा अस्तित्व सुनिश्चित नहीं है। अतः हमें मानव एवं प्रकृति दोनों को उच्च स्तरीय सुरक्षा प्रदान करनी चाहिये, ये स्वीकार करते हुए कि मनुष्य एवं प्राकृतिक समुदायों के अधिकारों की रक्षा उनके संवर्धन एवं अस्तित्व के लिये अति आवश्यक हैं। इसके बिना जल के प्रति मनुष्य के अधिकारों को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता क्योंकि हमारे जल तंत्र का अगाध रूप से दोहन होता रहेगा जब तक कि वे समाप्त नहीं हो जाते।

पूरे विश्व में प्रकृति के अधिकारों को सुनिश्चित करने के प्रयास जारी हैं। इसमें जल के लिये प्राकृतिक समुदायों के अधिकार भी अभिन्न, अविच्छेद रूप से सम्मिलित होंगे। एक्वाडोर दुनिया का पहला देश है जिसने प्रकृति के अधिकारों की पहचान कर अपने संविधान में सम्मिलित किया है। अमेरिका में दर्जनों नगर पालिकाओं जैसे कि पिट्सबर्ग ने जल के प्रति प्राकृतिक व मानवी दोनों के अधिकारों को मान्यता दी है। इसके साथ स्वस्थ पर्यावरण के प्रति मानव एवं प्राकृतिक समुदायों के अधिकार एवं परिस्थितिकीय तंत्र के अपने अस्तित्व एवं संवर्धन के अधिकार का तारतम्य है।

प्रस्तावित राष्ट्रीय गंगा नदी अधिकार अधिनियम राष्ट्रीय नदी को प्रभावित करने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दों का परिणाम है ताकि गंगा नदी एवं इस पर निर्भर जनसंख्याओं दोनों को उनके जीवन को सुनिश्चित करने वाले अधिकारों की प्रतिभूति दी जा सके।

राष्ट्रीय गंगा नदी अधिकार अधिनियम 2016 (प्रस्तावित) का संक्षिप्त सारांश

गंगा एक्शन परिवार भारत द्वारा प्रस्तुत रूपरेखा

हालांकि भारत के पर्यावरणीय संसाधनों के संरक्षण हेतु कानून के द्वारा कई प्रावधानों का निर्माण किया गया है, फिर भी कानून के प्रति प्रतिबद्धता व प्रावधानों के क्रियान्वयन के अभाव के कारण गंगा नदी जैसी राष्ट्रीय धरोहरों की स्थिति निरन्तर बद से बदतर होती जा रही है। राष्ट्रीय गंगा नदी अधिकार अधिनियम खास तौर से उन उपायों को दर्शाता है, जिनका निर्माण ऐसी समस्या से निजात पाने के लिए किया गया है, ताकि हमारी राष्ट्रीय नदी व 500 मिलियन लोग और पेड़ पौधे व वन्य जीवों की असंख्य प्रजातियाँ जिनका जीवन इस पर निर्भर है, अपने अस्तित्व को कायम रख सकें।

प्रस्तावना एवं उद्देश्य

भारत के लोग और सरकारें स्वीकार करती हैं कि—

1. गंगा नदी भारतीय सभ्यता की आंतरिक व मुख्य बुनियाद है।
2. गंगा नदी हमारे नागरिकों के जीविकोपार्जन व स्वास्थ्य के लिए मूलभूत जरूरत है तथा वनस्पतिक व जैविक विशिष्टता की निरन्तरता का आधार भी है।
3. गंगा नदी हमारी राष्ट्रीय पहचान की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न है।

किन्तु हमारी संस्कृति एवं दिनचर्या में पवित्र गंगा का विशिष्ट स्थान होने पर भी गंगा अति संकटग्रस्त पारिस्थितिकीतन्त्र के रूप में स्थापित हो चुकी है।

इस अधिनियम को अनूठा बनाने वाले प्रावधान

राष्ट्रीय गंगा नदी अधिकार अधिनियम (प्रस्तावित) —

1. प्रकृति के लिए एक अधिकार जनित कानूनी संरचना पर आधारित है।
2. नवोदित पर्यावरणीय सुरक्षा यंत्र रचना को समाविष्ट करता है, जिसमें सामुदायिक निगरानी एवं एक समर्पित पुलिस बल भी सम्मिलित है।
3. जल संरक्षण क्षेत्र, जैविक खेती क्षेत्र, निर्माण-निषेध क्षेत्र, व खुला मल त्याग मुक्त क्षेत्र की संस्थापना के साथ एक सुदृढ़ प्रदूषण निरोधी संरचना का निर्माण भी करता है, ताकि गंगा नदी के स्वच्छ व अविरल प्रवाह को सुनिश्चित किया जा सके।
4. सुनिश्चित करता है कि कानूनों को सख्ती से लागू किया जाये।
5. सुनिश्चित करता है कानून का उल्लंघन करने वाले को पुनः पर्यावरणीय उपचार के लिए आर्थिक रूप से जिम्मेदार ठहराया जाये।
6. भ्रष्टाचार विरोधी सख्त पृथक कानूनी अनुच्छेदों को नियत करता है।

वर्तमान पर्यावरणीय कानून कम प्रभावी क्यों?

वर्तमान पर्यावरणीय कानून, जो पारिस्थितिकीतंत्र में अनुज्ञेय नुकसान की मात्रा को नियमित करते हैं, गंगा और उसकी सहायक नदियों – जो राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में देखी जाती हैं – को विशेष महत्व देने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

समरूपी पर्यावरणीय कानून के तहत प्रबन्धन होने के कारण सम्पूर्ण दुनिया का पारिस्थितिकीय तंत्र विघटन का सामना कर रहा है। मनुष्य और प्रकृति के बीच मूलतः एक नया रिश्ता स्थापित करने की निहायत जरूरत है, जो पारिस्थितिकीय तंत्र के अहस्तांतरणीय एवं अंतर्निहित अधिकारों को पहचानें तथा मानवीय व प्राकृतिक अंतर्निर्भरता को महत्व दे।

प्रकृति के लिए अधिकार निहित कानूनी संरचना–

राष्ट्रीय गंगा नदी अधिकार अधिनियम, गंगा नदी के अहस्तांतरणीय व अंतर्निहित अधिकारों की संस्थापना सुरक्षा व संरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रस्तावित है, जिसमें सहायक नदियों के अधिकारों के साथ-साथ भारत के लोगों के लिए एक स्वास्थ्य एवं समृद्ध नदी बेसिन के अधिकार भी सम्मिलित है। यह अधिनियम भारत के लोगों व उनकी सरकारों के उन अधिकारों को भी सुनिश्चित करता है, जिनसे गंगा के अधिकारों की रक्षा व उनका क्रियान्वयन किया जा सके।

गंगा नदी तथा भारत की जनता के अधिकार –

पर्यावरण संरक्षण का नियमन से अधिकार विहित प्रणाली की ओर प्रस्थान, गंगा की सुरक्षा व संरक्षा के लिए एक साधन उपलब्ध कराने के साथ-साथ उन लाखों लोगों के अधिकारों को भी सुनिश्चित करेगा, जिनका जीवन गंगा नदी पर निर्भर है।

गंगा नदी अधिकार अधिनियम –

1. गंगा के अधिकारों को सुनिश्चित करेगा, ताकि गंगा का अस्तित्व, विकास व समृद्धि बरकरार रहे।
2. लोगों को, समूहों को और सरकारों को उन शक्तियों से निहित करेगा, जिनसे न्यायालय में गंगा के अधिकारों की रक्षा की जा सके।
3. स्वच्छ व समृद्ध गंगा के लिए लोगों, पौधों, मछलियों व जानवरों के अधिकारों को दृढ़ता प्रदान करेगा।
4. कोई भी गतिविधि जिससे गंगा के अधिकारों के अस्तित्व व विकास में संकट आये, उस पर नियन्त्रण करेगा।
5. सुनिश्चित करेगा कि गंगा के अधिकारों के उल्लंघन के बदले में प्रदत्त कोई भी हर्जाने का उपयोग पारिस्थितिकीतंत्र को नुकसान के पूर्व की स्थिति में पुनः ले जाने के लिये किया जाए।
6. यह गंगा के अधिकारों की सुरक्षा व संरक्षा के लिए क्रियान्वयन तन्त्र को संस्थापित करेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय पूर्ववर्ती नियम –

प्रकृति को अधिकार विहित कानूनी संरचना प्रदान करने वाले इसी प्रकार के कतिपय अधिनियमों को न्यूजीलैण्ड, अमेरिका तथा बोलिविया में मान्यता दी गयी है। एक्वाडोर के संविधान में प्रकृति के अधिकारों को संरक्षित करने वाला एक पृथक चैप्टर जोड़ा गया है।

परिच्छेदो का सारांश

अध्याय – 1 से 3 : शीर्षक परिभाषा और अधिकार

अध्याय 3 राष्ट्रीय गंगा नदी, भारत की जनता एवं प्राकृतिक पर्यावरण के अधिकार स्थापित करता है।

अध्याय – 4 : प्रदूषण एवं निष्कर्षण

- 1- प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों यथा औद्योगिक कचरा, ठोस कूड़ा करकट तथा सीवेज आदि पर अंकुश करता है।
- 2- गंगा नदी बेसिन को खुला मल-मूत्र परित्याग मुक्त क्षेत्र के रूप में स्थापित करता है।
- 3- खनिज संसाधनों के निष्कर्षण को परिमित करता है।
- 4- शवों के अपवहन को परिमित करता है।

अध्याय – 5 : जल संरक्षण

जल निष्कर्षण व जलाभाव तनाव को परिमित करने के लिये जल संरक्षण क्षेत्र को स्थापित करता है।

अध्याय – 6: जैव विविधता, वनीकरण एवं कृषि कार्य

1. जैव विविधता धरोहर स्थल की घोषणा करता है।
2. जैविक कृषि क्षेत्र स्थापित करता है ताकि स्वच्छ जल के अधिकार को बनाये रखा जा सके तथा पारिस्थितिकीय स्वास्थ्य को संवर्धित किया जा सके।
3. गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के पास पर्यावरण संतुलक पेड़-पौधों के रोपण के लिये दिशा निर्देश स्थापित करता है।

अध्याय – 7 : निर्माण कार्य पर प्रतिबन्ध

गंगा नदी के वृहद चक्रण को संरक्षित रखने हेतु गंगा तट वाले क्षेत्र को निर्माण रहित परिक्षेत्र के रूप में सुनिश्चित करता है।

अध्याय – 8 से 10 : कार्यान्वयन, प्रवर्तन तथा राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन अथारिटी / राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के दायित्व –

1. राष्ट्रीय गंगा नदी संरक्षण बल स्थापित करता है।
2. राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन अथारिटी व राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को अतिरिक्त शक्तियाँ व दायित्व प्रदत्त करता है।

अध्याय – 11 : जन सहयोग एवं सहभागिता

नदी तंत्र को संचालित करने, प्राकृतिक क्षेत्र को पुनर्स्थापित करने तथा स्थानीय जन समुदाय को जागरुक करने हेतु जन समुदाय आधारित गंगा संरक्षण प्रणाली विकसित करता है।

अध्याय – 12 से 13 : अपराध एवं दण्ड , भ्रष्टाचार पर नियन्त्रण

पूर्ववर्ती अधिनियमों की तुलना में आर्थिक दण्ड की सीमा व कारागार की अवधि को बढ़ाता है। पर्यावरणीय उपचार के लिए उल्लंघनकर्ता को आर्थिक रूप से जिम्मेदार ठहराता है। भ्रष्टाचार विरोधी पृथक सख्त कानून का निर्माण करता है।

अध्याय –14 : विनियोग

अधिनियम के प्रावधानों के निधीकरण व क्रियान्वयन की माँग करता है।

राष्ट्रीय गंगा नदी अधिकार अधिनियम (प्रस्तावित) 2016 गंगा एक्शन परिवार द्वारा प्रस्तुत रूपरेखा

प्रस्तावना

जबकि हम अपने जीवन और संस्कृति में माँ गंगा के अनुपम महत्व व विशिष्टता से भली-भाँति अवगत हैं कि वह हमारी सभ्यता की आधारभूत संरचना है। कि वह भारतीय जन मानस के स्वास्थ्य और जीविका का आधार है। कि वह हमारे विशिष्ट वनस्पतिक एवं जैविक तत्वों की निरन्तरता कायम रखने में सहायक है। कि गंगा हमारी राष्ट्रीय पहचान का अन्तर्राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न है। कि संसद इस तथ्य से भी अवगत है कि हमारे देश के नागरिकों को राष्ट्र के सबसे वृहद नदी तंत्र के रूप में गंगा नदी पर श्रद्धा है।

और जबकि गंगा नदी की विशिष्टता को महत्व देते हुए भारत सरकार ने गंगा को राष्ट्रीय नदी के रूप में स्वीकार किया है तथा इसके प्रबन्धन के लिए राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन अथॉरिटी व राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का गठन किया है।

और जबकि गंगा नदी व उसके बेसिन को संरक्षित व पुनर्स्थापित करने के लिए वर्तमान के पर्यावरणीय कानून पर्याप्त सिद्ध नहीं हुए हैं।

अतः अब इस अधिनियम का निर्माण इन उद्देश्यों से किया जाता है—

1. गंगा के अस्तित्व को यथावत बनाये रखने, इसके वृहद चक्रण को पुनर्जनित करने, इसकी संरचना व क्रियाओं को जारी रखने तथा विकास की प्रक्रिया को सुनिश्चित रखने हेतु गंगा नदी व गंगा नदी बेसिन के मौलिक व अहरणीय अधिकारों को निर्मित करना।
2. गंगा नदी एवं गंगा नदी बेसिन के स्वास्थ्य व संवर्धन हेतु प्राकृतिक पर्यावरण एवं भारतीय लोगों के अधिकार सुनिश्चित करना।
3. गंगा नदी एवं गंगा नदी बेसिन के अधिकारों को बल प्रदान करने हेतु भारत के लोगों एवं सरकार के प्राधिकार को सुरक्षित करना।
4. गंगा नदी एवं उसके बेसिन को स्वस्थ व पुनर्जीवित करना।
5. गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी के रूप में पहचान देना। राष्ट्रीय गंगा नदी तथा इसकी सहायक नदियों को राष्ट्रीय धरोहर स्थल की मान्यता प्रदान करना तथा समस्त प्रदत्त लाभों के साथ राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देना। भारत के 67वें गणतन्त्र दिवस के अवसर पर संसद द्वारा इसे निम्न रूप से निर्मित किया जायेगा।

अध्याय एक शीर्षक

धारा एक. – शीर्षक

1- इस अधिनियम का शीर्षक होगा "राष्ट्रीय गंगा नदी अधिकार अधिनियम – 2016", इसके बाद अधिनियम।

धारा दो. – उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र –

1- यह अधिकार प्रदान करने वाला अधिनियम है, जिसका उद्देश्य गंगा नदी एवं गंगा नदी बेसिन के अहस्तांतरणीय व मौलिक अधिकारों की स्थापना करना है। गंगा के स्वास्थ्य व सजीवता को पुनर्स्थापित करना है। स्वस्थ व अविरल गंगा एवं गंगा नदी बेसिन के लिए भारतीय लोगों के प्राकृतिक अधिकार सुनिश्चित करना है। इन अधिकारों की रक्षा एवं इनको लागू करने के लिए भारत के लोगों तथा भारत की सरकार को प्राधिकृत करना है। गंगा नदी को राष्ट्रीय गंगा नदी, राष्ट्रीय विरासत स्थल तथा राष्ट्रीय स्मारक के रूप में पहचान देना है।

धारा तीन. – प्रवर्तन

1- राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत की गयी तिथि से अधिनियम लागू हो जायेगा।

अध्याय दो परिभाषायें

1- **राष्ट्रीय गंगा नदी**—इस अधिनियम के लिए, राष्ट्रीय गंगा नदी, अब से गंगा नदी अथवा गंगा नदी बेसिन में सम्पूर्ण लम्बाई, गंगा नदी की सभी सहायक नदियाँ तथा इसकी मुख्य तीन धारायें अलकनन्दा, मन्दाकिनी एवं भागीरथी, चाहे प्रवाह में हो अथवा सूखी, अपने उद्गम ग्लेशियर से रुद्रप्रयाग एवं देवप्रयाग में संगम स्थल तक तथा देवप्रयाग से सागर तक की मुख्य धारा तथा जल एवं प्राकृतिक ईको सिस्टम व एकीकृत अन्तर्निर्भर नदी बेसिन प्राकृतिक प्रवासी आदि शामिल हैं।

2. **पारिस्थितिकी अधिकारों का आसन्न उल्लंघन** – इसके अन्तर्गत वे प्रायोजित सरकारी एवं गैर सरकारी गतिविधियाँ शामिल हैं, जिससे गंगा नदी बेसिन से जुड़े किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का नुकसान हो।

3. **कानूनी अर्जी लगाने वाला प्रार्थी** –कानूनी अर्जी लगाने वालों में कोई व्यक्ति, लोग, समुदाय, राष्ट्रीयता, राज्य सरकार, नगरपालिका, संघीय क्षेत्र अथवा भारतीय गणतंत्र के अन्दर का कोई संगठन हो सकता है।

4-**अधिकारों का उल्लंघन** – अधिकारों का उल्लंघन एक क्रियाकलाप है, जो गंगा नदी बेसिन अथवा कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र (जिससे बेसिन के अस्तित्व की सुरक्षा हो, जो अपना वृहद चक्रण उत्पन्न कर सके, अपनी संरचना निर्मित कर सके, अपने कार्य व विकास का रूप विकसित कर सके) की क्षमता को बाधित करता है।

अध्याय तीन अधिकार

1. धारा एक. —राष्ट्रीय गंगा नदी, भारत की जनता एवं प्राकृतिक पर्यावरण के अधिकार।

1. राष्ट्रीय गंगा नदी के अधिकार —राष्ट्रीय गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियाँ, धारायें, पारिस्थितिकी तंत्र एवं उसके बेसिन के प्राकृतिक प्रवासियों में मौलिक एवं अहरणीय अधिकार निहित हैं, जिससे कि वे अपने अस्तित्व को कायम रख सकें, फल फूल सकें, अपना वृहद चक्रण निर्मित कर सकें, अपनी संरचना कर सकें, अपनी विकासात्मक प्रक्रिया को प्रदूषण रहित बना सकें। राष्ट्रीय गंगा नदी एवं उसकी सहायक नदियाँ व धारायें बाधा मुक्त प्रवाह का अधिकार रखती हैं। प्रवाह में आने वाली रुकावटें स्थलीय जल के संचरित होने मैदानी बाढ़, प्राकृतिक नदी विस्तार में पारिस्थितिकीयुक्त जल प्रवाह बनाने में बाधा उत्पन्न करती है।

2. शुद्ध जल का अधिकार —गंगा नदी बेसिन, पारिस्थितिकी तंत्र एवं वहाँ रहने वाले प्राकृतिक प्रवासियों को प्राकृतिक जल चक्रण से जल के प्रयोग, संरक्षण व टिकाऊ पहुँच का मौलिक एवं अहरणीय अधिकार प्राप्त है। नदी बेसिन का यह जल चक्र जीवन के लिए जरूरी शुद्ध जल उपलब्ध कराता है। गंगा नदी बेसिन में रहने वाले लोगों को प्राकृतिक जल चक्र से जल के प्रयोग, उपभोग तथा संरक्षण का मौलिक व अहरणीय अधिकार प्राप्त है।

3. प्रकृति व जनता के अधिकार —पारिस्थितिकी तंत्र एवं क्षेत्रीय प्राकृतिक प्रवासी समुदायों में दलदल भूमि, धारायें, नदियाँ, एक्वीफर्स व अन्य जल-तंत्र सम्मिलित हैं और केवल इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि गंगा नदी बेसिन को भी शामिल करता है। इन पारिस्थितिकी तंत्र व समुदायों को अपने अस्तित्व, विकास, अविरल जल प्रवाह एवं प्रदूषण रहित वृहद चक्रण विकसित करने का मौलिक व अहरणीय अधिकार प्राप्त है। भारत की जनता को स्वस्थ एवं शुद्ध पर्यावरण का मौलिक एवं अहरणीय अधिकार प्राप्त है, जिसमें स्वस्थ, संवर्धित, अविरल एवं प्रदूषण रहित गंगा नदी एवं गंगा नदी बेसिन का अधिकार भी सम्मिलित है।

4. जन अधिग्रहीत भूमि पर स्व क्रियान्वयन व विस्तारण के रूप में अधिकार—इस अधिनियम द्वारा सुरक्षित एवं वर्णित सभी अधिकार स्वयं द्वारा क्रियान्वित किये जायेंगे। इन अधिकारों को सरकारी व गैर सरकारी अभिकर्ताओं के विरुद्ध लागू किया जायेगा। इस अधिनियम द्वारा संरक्षित सभी अधिकारों का विस्तार उन पारिस्थितिकी तंत्र व प्राकृतिक समुदायों तक होगा, जो उस भूमि में रहती है अथवा उस जल अधिग्रहीत भूमि पर निर्भर है।

अध्याय 4

प्रदूषण और निष्कर्षण

धारा 1 – सभी प्रदूषणकारी गतिविधियों पर अंकुश

1 – **दण्डनीय अपराध** : इस अधिनियम द्वारा रेखांकित और संरक्षित सभी अधिकारों की सुरक्षा के लिये, गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों व जलधाराओं में किसी और सभी बाहरी पदार्थों को डालना या एकत्रित करना, जिसमें कि ठोस व्यर्थ पदार्थ, रसायन, सीवेज, पशुओं अथवा मनुष्यों के बिना जले शरीर, औद्योगिक उत्प्रवाह, नगरपालिका का व्यर्थ कचरा, चिकित्सालय अथवा रसोई का बचा व्यर्थ पदार्थ और कोई व सभी अन्य पदार्थ शामिल हैं, इस अधिनियम के अध्याय 8 के अन्तर्गत प्रवर्तनीय और दण्डनीय होगा। इसमें एक अपवाद यह है कि धार्मिक गतिविधियों में अर्पित छोटे पदार्थ पर्यावरणीय या सुरक्षा उपचार से जुड़ी वस्तुएँ या पदार्थ तथा पूर्ण रूप से जले शरीरों के अवशेषों को डाला जा सकेगा।

धारा 2 – पर्याप्त सीवरेज आवृत क्षेत्र का प्रावधान, संचालन व रखरखाव

1 – **सीवरेज उपचार सुविधाओं का प्रावधान** : वर्ग 1-5 की सभी नगरपालिकाओं को पूर्ण व पर्याप्त सीवरेज उपचार प्रणालियाँ, सुविधाएँ और कोई व सभी आवश्यक आधारीक संरचनाएँ इसमें और इसके बाद सीवेज उपचार प्रणालियों के नाम से भी निर्दिष्ट उपलब्ध कराई जाएँगी, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि गंगा नदी या उसकी सहायक नदियों तक पहुँचने से पहले ही सभी घरों, व्यावसायिक स्थानों व कोई और सभी अन्य भवनों, संरचनाओं और सुविधाओं से आये मानव मलमूत्र और अन्य उपयुक्त व्यर्थ पदार्थ का सम्पूर्ण उपचार किया जा सके।

2 **सीवेज उपचार संयन्त्र के अतिरिक्त अन्य साधन** : सीवेज उपचार प्रणालियों में सीवेज उपचार संयन्त्र के अतिरिक्त अन्य साधन जैसे जैविक-उपचार विकेन्द्रीकृत उपाय या अन्य उपाय भी शामिल हो सकते हैं, यदि उन्हें उतना ही प्रभावी सिद्ध किचा जा सके।

3 **उपरोक्त सुविधाओं का संचालन व रखरखाव** : कोई और सभी सार्वजनिक सीवेज उपचार प्रणालियों का संचालन, रखरखाव और प्रबंधन पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों द्वारा कार्यान्वित होगा और इसकी मानीटरिंग के लिये राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा पूर्णकालिक रूप से एक व्यक्ति को भी नियुक्त किया जायेगा। सभी सीवेज उपचार सुविधाएँ हर समय पूर्णतः क्रियाशील होनी चाहिये और इनके लिये उपयुक्त कार्यविधियाँ बनायी जायेगी, यह सुनिश्चित करने के लिये कि कोई भी अनुपचारित व्यर्थ पदार्थ गंगा नदी के बेसिन में छोड़ा न जाये। अनुपचारित व्यर्थ पदार्थ छोड़े जाने के परिणाम में इस अधिनियम के अध्याय 12 में स्थापित दंड दिये जायेंगे।

धारा 3 – खुला मल मूत्र त्याग मुक्त क्षेत्र की स्थापना, रखरखाव व निरीक्षण

- 1. संस्थापना—** इस अधिनियम द्वारा रेखांकित और संरक्षित अधिकारों, जिसमें रोगजनक पदार्थों से मुक्त रहने के पारिस्थितिकी तंत्र व लोगों के अधिकार शामिल हैं, की सुरक्षा के लिए सम्पूर्ण गंगा नदी बेसिन को खुले में शौच से मुक्त परिक्षेत्र के रूप में चिन्हित किया जायेगा।
- 2. शैक्षिक उपाय--** सभी आगन्तुकों व निवासियों को शिक्षित व प्रेरित करने के लिए हर प्रकार के सम्भावित कदम उठाये जायेंगे, ताकि स्वास्थ्य संवर्धन के लिए खुले में मल-मूत्र त्याग सम्बन्धी किसी भी प्रकार के व्यवहार को नियंत्रित किया जा सके।
- 3. अनुदान—** जिन निवासियों को सैनेटरी सुविधा उपलब्ध नहीं है, उन लोगों को वृहद स्तर पर पर्यावरण-सुरक्षक शौचालय सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों और/या नीतियों के अनुरूप शौचालय सुविधाओं हेतु अनुदान इसके लिये उपलब्ध कराया जाएगा। गंगा नदी बेसिन क्षेत्र में आने वाले सभी आगन्तुकों के लिए, विशेष रूप से महत्वपूर्ण पर्यटन या तीर्थक्षेत्रों में, निशुल्क या कम कीमत पर पर्यावरण-अनुकूल शौचालय की सुविधा की स्थापना एवं रखरखाव का कार्य उपयुक्त कोष व देखरेख द्वारा किया जायेगा।
- 4. खुला मल मूत्र त्याग मुक्त क्षेत्र का रखरखाव –** सदा के लिये गंगा नदी बेसिन सैनिटेशन कोष की स्थापना, रखरखाव व उपयोग इस अधिनियम के अन्तर्गत उपलब्ध कराए गये जन-शौचालयों के दैनिक रखरखाव, स्वच्छता व नियमित रूप से मरम्मत हेतु किया जायेगा।

धारा-4 भूगर्भीय संसाधनों का संरक्षण –

- 1. बालू खनन का निषेध :-** इस अधिनियम में रेखांकित व संरक्षित अधिकारों की सुरक्षा, जिसमें गंगा नदी, उसकी सहायक नदियों और धाराओं की संरचना और कार्य का संरक्षण शामिल है, के लिए इसकी बालू, चट्टानों और अन्य खनिज संसाधनों के खनन के सभी रूप सुरक्षा जो सुरक्षा सम्बन्धित नहीं है, दण्डनीय अपराध माने जायेंगे, जैसा कि इस अधिनियम के अध्याय 12 में रेखांकित है।

धारा-5 शवदाह गृह और शवों का अपवहन –

- (1)** इस अधिनियम में रेखांकित और संरक्षित अधिकारों की सुरक्षा के लिए बिना जले पशु और मनुष्य शवों के गंगा बेसिन के भीतर अपवहन को दण्डनीय अपराध माना जाएगा, जैसा इस अधिनियम के अध्याय 12 में वर्णित किया गया है।
- (2) वृक्ष रक्षक शवदाहगृहों का कार्यान्वयन –** इस अधिनियम में वर्णित और संरक्षित अधिकारों की सुरक्षा के लिए, और वृक्ष हटाने पर लगे प्रतिबन्धों के क्रियान्वयन के लिए, शवदाह गृहों के लिए पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के पर्यावरण संवहनीय विकल्प भारत सरकार द्वारा राज्य एवं नगर पालिका के

उपयुक्त विभागों के सहयोग से गंगा नदी बेसिन में हर स्थान पर क्रियान्वित किये जायेंगे। अगर लकड़ी का उपयोग होना ही है, तो ऐसी तकनीकें कार्यान्वित की जायेंगी जिनसे परम्परागत शवदाह की तुलना में कम से कम 50 प्रतिशत कम लकड़ी की आवश्यकता पड़े।

3. **शवदाह गृहों के लिए वृक्षों की कटाई में कमी**— इस अधिनियम के लागू होने के पांच वर्षों के भीतर सरकारी प्रयासों द्वारा बेसिन के भीतर वृक्षों की कटाई और दाह में 30 प्रतिशत कमी लाई जायेगी। इस अधिनियम के लागू होने के दस वर्षों के भीतर बेसिन में शवदाहगृहों के लिए वृक्षों के कटने व जलने पर 50 प्रतिशत कमी लाई जायेगी। कटे हुए सभी वृक्षों के स्थान पर पर्णपाती वृक्ष प्रजातियाँ लगाई जायेंगी, जैसा कि अध्याय छह धारा (1) में विस्तार से दिया जायेगा।

अध्याय पाँच

जल की बचत व सुरक्षा

धारा 1— सतह जल व भूजल की सुरक्षा

(1) जल—बचत परिक्षेत्र की स्थापना:—

इस अधिनियम के वर्णित व संरक्षित अधिकारों की रक्षा के लिए, गंगा नदी बेसिन को जल—बचत परिक्षेत्र के रूप में घोषित किया जायेगा।

(2) **सतह जल निष्कर्षण पर परिसीमा** — जल बचत परिक्षेत्र के भीतर, गंगा नदी, उसकी सहायक नदियों व धाराओं के तट पर भूमि का विकास और अन्यथा रखरखाव इस प्रकार होगा जिससे सतह जल निष्कर्षण पर परिसीमा हो और जल बचत कार्यप्रणालियों को लागू किया जा सके, जिसमें जल की बचत करने वाली सिंचाई शामिल है। कथित परिक्षेत्र में कम से कम 51 प्रतिशत मौसमी प्राकृतिक सतह जल, जो प्राकृतिक रूप से नदी में बहता है, हर समय रखा जायेगा, सिवाय उस समय के जब कथित बहाव जीवन और सम्पत्ति के लिए आपातकालीन खतरा पैदा करता है। कथित मामलों में, न्यूनतम बहाव को कुछ समय के लिए कम किया जा सकता है इस निर्देश के साथ कि प्रारम्भिक संकट के 90 दिनों के भीतर इसे ज्यों का त्यों किया जायेगा।

(3) **भूजल निष्कर्षण पर परिसीमा**— इस अधिनियम में वर्णित और संरक्षित अधिकारों की रक्षा के लिए, अधिनियम के लागू होने के दस वर्ष के भीतर गंगा नदी बेसिन के भीतर वार्षिक भूजल आहरण कुल वार्षिक भूजल उपलब्धि के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। अधिनियम बनने के तीन वर्षों के भीतर, बेसिन के भीतर के सभी क्षेत्र इस नियम का अनुपालन करेंगे।

(4) **औद्योगिक निष्कर्षण पर परिसीमा**— गंगा नदी बेसिन में सभी उद्योगों के लिए जल बचत कार्यप्रणालियों का पालन अनिवार्य होगा। इन में वर्षा जल संग्रह, भूजल पुनर्भरण और व्यर्थ जल का पुनर्चक्रण व पुनरुपयोग शामिल होगा, लेकिन केवल यही कार्यप्रणालियाँ नहीं होंगी। जल बचत परिक्षेत्रों के लिए औद्योगिक जल परिसीमाएं और जल बचत कार्यप्रणालियाँ इस अधिनियम के पारित होने के

120 दिनों के भीतर निर्धारित किये जायेंगे। यह निर्धारण एक स्वतंत्र पैनल करेगा और इसका निरीक्षण राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन अथारिटी के अध्यक्ष के रूप में भारत के प्रधानमंत्री करेंगे।

अध्याय छह

जैव विविधता, वनीकरण व कृषि सम्बन्धी कार्य प्रणालियाँ

धारा 1. जैव विविधता का रखरखाव, पुनर्नवीकरण व रक्षण

1. **जैव विविधता धरोहर स्थल की घोषणा**— इस अधिनियम के वर्णित व संरक्षित अधिकारों की रक्षा के लिए, गंगा नदी, उसकी सहायक नदियाँ, और नदियों के केन्द्र से 2 कि.मी. के भीतर की सारी भूमि जैव विविधता धरोहर स्थल के रूप में निर्णीत की जाएंगी। गंगा नदी बेसिन के पारिस्थितिकी तंत्र और जीव जन्तुओं व वनस्पतियों का संरक्षण और प्रबन्धन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा। स्थानीय नागरिक, समुदाय और अन्य साझेदार इसके क्रियान्वयन और गंगा नदी बेसिन की जैव विविधता धरोहर स्थल के रूप की सुरक्षा में शामिल होंगे। इसमें वे व्यक्ति व समूह भी शामिल होंगे जिनका रेखांकन अधिनियम के अध्याय 11 में किया गया है।

(2) कथित कार्य स्थानीय नागरिकों व साझेदार समूहों के शिक्षण व उनके साथ सहयोग के द्वारा किये जायेंगे। स्थानीय आबादियाँ आर्थिक रूप से अस्त-व्यस्त न हों इसके लिये पुनर्वासकारक या क्षतिपूरक कार्य किये जाएंगे।

(3) **गंगा नदी डॉल्फिन की रक्षा** — हमारा राष्ट्रीय जल जीव, गंगा नदी डॉल्फिन, दीर्घकाल तक जीवित रहे, इसके लिए व्यापक कार्य किये जायेंगे। गंगा नदी डॉल्फिन एक महत्वपूर्ण प्रजाति है जो इस अधिनियम में वर्णित व संरक्षित अधिकारों की रक्षा व सिद्धि के लिए अत्यावश्यक है। गंगा नदी डॉल्फिन को मारना या जहर देना निषिद्ध है और दण्डनीय अपराध होगा। मछली पकड़ने के ऐसे तरीके, जिनके परिणाम में गंगा नदी डॉल्फिन की मृत्यु होती है, निषिद्ध है और दण्डनीय अपराध होंगे।

(4) **फलदार और गैर-फलदार पर्णपाती वृक्षों और पर्यावरण को संतुलित करने वाले पौधों के द्वारा वनीकरण**— इस अधिनियम में वर्णित व संरक्षित अधिकारों की रक्षा के लिए क्षेत्र की प्राकृतिक जैव विविधता के अनुकूल स्वदेशी पत्तेदार पेड़ पर्यावरण को संतुलित करने वाले पौधे और औषधीय जड़ी-बूटियाँ रोपित की जायेगी और उनका रखरखाव किया जायेगा। वृक्षारोपण और रखरखाव इस अधिनियम के अधिकारों और आवश्यकताओं के अनुरूप किया जायेगा। यह कार्य वनस्पति शास्त्रियों, पर्यावरणविदों, नागरिक समूहों और अन्य उपयुक्त पक्षों, जिसमें इस अधिनियम के अध्याय 11 में वर्णित पक्ष भी शामिल हैं, के सहयोग से होगा।

(5) **पर्णपाती वृक्षों की कटाई का निषेध** — इस अधिनियम में वर्णित व संरक्षित अधिकारों की रक्षा के लिए पूरे बेसिन में गंगा नदी, उसकी सहायक नदियों व धाराओं के वर्षा-ऋतु कालीन प्राकृतिक तटों के 250 मीटर के भीतर पर्णपाती वृक्षों की कटाई निषिद्ध है, सिवाय तब जब यह शोध, स्वास्थ्य या

सुरक्षा कारणों से की जाये। इस परिक्षेत्र के भीतर काटे गये कोई भी वृक्षों के स्थान पर तुरंत स्वदेशी पर्णपाती वृक्ष प्रजातियाँ लगाई जायेंगी।

धारा-2 जैविक खेती

(1) **जैविक खेती परिक्षेत्र की स्थापना**— इस अधिनियम में वर्णित व संरक्षित अधिकारों की रक्षा के लिए गंगा नदी, उसकी सहायक नदियाँ व धाराओं के वर्षा-ऋतु कालीन प्राकृतिक किनारे के 500 मीटर के भीतर के क्षेत्र को जैविक खेती परिक्षेत्र के रूप में स्वीकृत किया जायेगा, जिसमें रासायनिक कीटनाशकों व उर्वरक खादों का प्रयोग प्रतिबन्धित किया जायेगा। जहाँ सम्भव हो, कृषि जैव विविधता योजना का जैविक कृषि कार्यक्रमों में समन्वय किया जायेगा। इस अधिनियम के अध्याय पाँच में वर्णित जल बचत कार्यप्रणालियाँ उपयोग में लाई जाएंगी।

धारा 3 – गंगा नदी बेसिन जैविक खेती क्षेत्र एवं जल संरक्षण क्षेत्र कोष की स्थापना, शैक्षिक विस्तार एवं विपणन सहायता कार्यक्रम

(1) इस अधिनियम के पारित होने के 6 माह के भीतर गंगा नदी, उसकी सहायक नदियों एवं धाराओं के दोनों तरफ 500 मीटर तक कृषि की आर्थिक सम्भावनाओं को सुनिश्चित करने के लिए एक कोष, शैक्षिक क्रियायें एवं विपणन से सम्बन्धित गतिविधियों को विकसित किया जायेगा, स्पष्ट व विस्तृत रूप से इनका प्रचार-प्रसार किया जायेगा और इस क्षेत्र में कृषि करने वाले सभी किसानों को उपलब्ध कराया जायेगा।

अध्याय सात निर्माण पर निषेध

धारा 1 – निर्माण मुक्त क्षेत्र की स्थापना

1. इस अधिनियम में वर्णित व संरक्षित अधिकारों की रक्षा के लिए गंगा नदी, उसकी सहायक नदियों एवं धाराओं के वर्षाऋतु स्तरीय प्राकृतिक तटों के 100-500 मीटर के क्षेत्र में नये स्थायी निर्माण की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। यह निर्माण मुक्त क्षेत्र होगा, किन्तु वैज्ञानिक जाँच-पड़ताल, जन स्वास्थ्य व सुरक्षा तथा सार्वजनिक धार्मिक प्रयोग के लिए निर्माण इसके अपवाद होंगे।

2. अधिनियम के बनने के 180 दिनों के भीतर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन एक अध्ययन पूरा करेगा, जिसमें सुरक्षित निर्माण क्षेत्र, जो कि वर्षा ऋतु के स्तर के नदी तट से 100 मीटर से कम की दूरी में नहीं होंगे, निश्चित किये जाएंगे।

अध्याय आठ क्रियान्वयन

धारा 1 क्रियान्वयन

1. जहाँ भी सम्भव हो, यह अधिनियम अभी मौजूद केन्द्रीय, राज्य व नगरपालिका कानूनों का परिपूरक बनेगा। केवल द्वन्द्व के बिन्दुओं पर यह अधिनियम मौजूदा कानूनों का स्थान लेगा।
2. इस अधिनियम के लागू होने के एक सौ अस्सी (180) दिनों के भीतर, संसद को उन सभी मौजूदा कानूनों का पुनरावलोकन करना होगा, जो गंगा नदी बेसिन को प्रभावित कर सकते हैं। संसद को इन कानूनों को इस अधिनियम से अनुरूपता में लाना होगा।
3. इस अधिनियम के लागू होने के 180 दिनों के भीतर, संसद को गंगा नदी बेसिन के लिए कार्यान्वयन व पुनर्नवीकरण कार्यक्रम और इसके लिए पर्याप्त उपयुक्त कोष को अधिकृत करना होगा। इस अधिनियम के लागू होने के 5 वर्ष के भीतर बेसिन का सम्पूर्ण पुनर्नवीकरण पूरा हो जाना चाहिए।
4. संसद, राज्य और नगरपालिका प्रशासनों द्वारा बनाये गये कोई भी नये या मौजूदा कानूनों को इस अधिनियम द्वारा स्थापित अधिकारों की रक्षा करनी होगी।

अध्याय नौ प्रवर्तन

धारा 1 – वादी पक्ष द्वारा प्रवर्तन:

1. कोई भी वादी पक्ष जिसमें कोई व्यक्ति, लोग, समुदाय, राष्ट्रीयता, राज्य सरकार, नगर व पंचायत सरकार, संघीय क्षेत्र अथवा संगठन शामिल हैं उपयुक्त न्यायिक क्षेत्र वाली अदालत में वाद दायर कर सकता है, ताकि निश्चित किया जा सके कि इस अधिनियम द्वारा स्थापित किसी अधिकार अथवा माँग का किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किया जा सकता है अथवा इसके द्वारा उल्लंघन किया गया है।
2. कोई व्यक्ति, लोग, समुदाय, राष्ट्रीयता, राज्य सरकार, नगर पंचायत सरकार, संघीय क्षेत्र या संगठन, यह पता लगाने के लिए कि क्या इस अधिनियम द्वारा स्थापित कोई अधिकार का उल्लंघन किया गया है अथवा किया जायेगा, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन अथॉरिटी व / अथवा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के साथ कार्रवाई के लिए अनुरोध दायर कर सकता है। 30 दिनों के अन्दर इसका निर्णय जारी किया जायेगा। यदि अथॉरिटी को लगता है कि अधिकारों का उल्लंघन हुआ है या किया जायेगा, तब वह उपयुक्त न्यायिक क्षेत्र वाली अदालत में 30 दिनों के अन्दर मुकद्दमा दायर करेगी।

धारा 2: संघीय सरकार द्वारा प्रवर्तन:

1 राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन अथॉरिटी, इसके बाद अथॉरिटी, यह निश्चित करने के लिए कि इस अधिनियम द्वारा स्वीकृत अधिकारों का किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किया गया है या किया जायेगा, उपयुक्त न्यायिक क्षेत्र वाली अदालत में मुकद्दमा कर सकती है तथा किसी प्रकार के उल्लंघन के लिए उचित उपचार की माँग कर सकती है। किसी सरकारी संस्था, एजेन्सी अथवा इन संस्थाओं या एजेंसी के लिए कार्यरत कोई एजेंट को प्रवर्तन से सुरक्षा उपलब्ध नहीं होगी।

2 इस अधिनियम को लागू करने के लिए अथॉरिटी के पास आपात शक्ति भी होगी। यदि किसी अधिकार का उल्लंघन जारी या संभावित है तो अथॉरिटी उल्लंघन के उपचार के लिए त्वरित कार्यवाही करेगी या भविष्य में उल्लंघन को रोकेगी। त्वरित कार्यवाही में कानूनी कार्यवाही या अथॉरिटी को प्रदत्त अधिकार के तहत अपने कर्मचारी के माध्यम से पुलिस कार्यवाही करायेगी, ताकि उल्लंघन की पूर्ति किया जा सके या भविष्य में उल्लंघन को रोका जा सके।

3. इस अधिनियम द्वारा स्थापित अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी वादी पक्ष द्वारा लायी गयी क्रियाकलाप में अथॉरिटी शामिल हो सकती है।

4. संघीय सरकार किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी परियोजना या गतिविधियों का संचालन, क्रियान्वयन, प्राधिकृत अथवा स्वीकृति प्रदान नहीं करेगी, जिनसे इस अधिनियम द्वारा स्थापित अधिकारों अथवा मांगों का उल्लंघन होता है, अथवा उल्लंघन की शक्ति निहित हो।

धारा 3: न्यायालय की शक्तियाँ :

1. वादी की प्रार्थना को सुनने वाले किसी भी न्यायालय को अधिकार होगा कि वह गंगा नदी बेसिन के अधिकारों का अनवरत अधिग्रहण करने का आदेश पारित करे, भावी कदमों के विषय में निर्देश दे, जो गंगा नदी बेसिन के अधिकारों का अधिग्रहण कर सके तथा उपयुक्त अंतरिम कदम उठाये, जिनसे गंगा नदी बेसिन की रक्षा हो सके। यदि इस अधिनियम द्वारा स्थापित अधिकारों का निकट भविष्य में अधिग्रहण की प्रबल सम्भावना हो। न्यायालय एक स्वतन्त्र पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त कर सकता है, जो उसे पारिस्थितिकी क्रियाओं तथा उसकी भरपाई के लिए जरूरी क्षति का यात्रा के विषय में जानकारी प्रेषित करेगा।

2. गंगा नदी बेसिन के अधिकारों का उल्लंघन करने वाली गतिविधियों को निर्देशित करने वाले कदम जो अथॉरिटी द्वारा लिये गये हों अथवा भविष्य की उन गतिविधियों को निर्देशित करने वाले कदम जिनसे गंगा नदी बेसिन के अधिकारों का उल्लंघन होता हो, को संयुक्त रूप से एक कार्य के रूप में स्वीकार किया जायेगा। यदि किसी वादी पक्ष के द्वारा मामला न्यायालय में विचाराधीन हो और इस बात का निर्धारण न्यायालय द्वारा किया जायेगा कि खास परिस्थितियों में नुकसान के भरपाई के लिए तथा पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करने हेतु क्षतिपूर्ति के प्रयोग के लिए नगर पंचायत सरकार, राज्य सरकार अथवा अथारिटी में से कौन सर्वाधिक उपयुक्त होगा।

3. गंगा नदी एवं उसके किसी पारिस्थितिकी तंत्र अथवा प्राकृतिक प्रवासी समुदायों जिसमें बेसिन भी सम्मिलित है, को उनके पूर्व क्षति रहित अवस्था के स्तर तक लाने के लिए आवश्यक हर्जाना के सन्दर्भ में न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जायेगा और उस हर्जाने की भरपाई प्रतिवादी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्दिष्ट सरकारी अभिकरण को दिया जायेगा। हर्जाने का उपयोग केवल पारिस्थितिकी तंत्र अथवा प्राकृतिक समुदायों को पूर्व स्थिति में लाने के लिए ही किया जायेगा। इस अधिनियम द्वारा स्थापित अधिकारों को उल्लंघन करने वाले को दण्डित करने हेतु भी हर्जाने का निर्णय दिया जायेगा। कानूनी फीस वादी को प्रदान की जायेगी, जो इस अधिनियम द्वारा स्थापित अधिकारों को लागू करने अथवा अभियोग चलाने में सहायक रहा है।

अध्याय दस

राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन अथॉरिटी व राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन – इस अधिनियम से संबंधित विशेष दायित्व

धारा 1 – पारिस्थितिकीय गुणों का रेखांकन–

1. **पारिस्थितिकीय गुणों का रेखांकन–** गंगा नदी में प्रत्येक वर्ग के पारिस्थितिकी तंत्र व प्राकृतिक समुदाय, जो इसे पूर्ण अस्तित्व के योग्य बनाता है, संवर्द्धन करता है, इसके अविरल प्रवाह को बनाये रखता है तथा प्रदूषण रहित वृहद चक्रण, संरचना, क्रियायें व विकासशील प्रक्रियाओं को जीवित रखता है, के आवश्यक गुणों को रेखांकित करने हेतु अथॉरिटी ईकोलॉजिस्ट नियोजित करेगी। इन रेखांकित आलेखों को संकलित किया जायेगा तथा इन्हें अथॉरिटी के नियमन एवं आंतरिक मार्गदर्शन के रूप में अपनाया जायेगा।

2. **रेखांकन के पहले प्रवर्तन –**रेखांकन का कार्य पूर्ण होने के पूर्व प्रवर्तन की कार्यवाही वर्तमान में उपलब्ध आंकड़ों पर निर्भर रहेगी, जो इस अधिनियम के अधीन स्थापित अधिकारों व मांगों की पूर्ति के लिए आवश्यक है।

3. **प्राप्ति एवं प्रवर्तन –**कार्यवाही के लिए प्रार्थना की प्रतिक्रिया अथवा अथॉरिटी द्वारा प्रवर्तन के लिए की गयी कार्यवाही की जाँच में रेखांकन का प्रयोग किया जायेगा। उन रेखांकनों को चुनौती देने वाला कोई भी व्यक्ति को स्वयं सिद्ध करना होगा कि रेखांकन अवैध है और यह कि उनके कार्यवाही द्वारा प्रभावित गुण इस अधिनियम के अध्यादेश को पूरा करने का आवश्यक गुण नहीं है।

धारा 2 – भावी उल्लंघन के परिप्रेक्ष्य में संघीय रूप से क्रियान्वित प्राधिकृत अथवा स्वीकृत परियोजनाओं का अथॉरिटी द्वारा पुनरावलोकन –

1. **परियोजना पुनरावलोकन –**अथॉरिटी संघीय सरकार द्वारा विचाराधीन उन परियोजनाओं, प्रगतियों अथवा कार्यकलापों का पुनरावलोकन करेगी, जिनका प्रभाव गंगा नदी बेसिन पर पड़ता है या पड़

सकता है और जिनसे इस अधिनियम द्वारा स्थापित अधिकारों एवं मांगों का उल्लंघन होता है या हो सकता है ।

2. पुनरावलोकन हेतु परियोजनाओं का निर्धारण एवं सूचना—क्रियान्वयन, प्राधिकृतीकरण अथवा स्वीकृति के लिए विचाराधीन क्रियाकलाप, प्रगतियों अथवा सरकारी एवं गैर सरकारी परियोजनाओं की संघीय अभिकरणों से अथॉरिटी को त्वरित सूचना भेजी जायेगी। अथारिटी इस बात का निर्धारण करेगी कि क्याकिसी परियोजना, प्रगति अथवा क्रियाकलापों में गंगा नदी बेसिन को प्रभावित करने की क्षमता है। यदि ऐसा निर्णय लिया जाता है तो अथारिटी उन परियोजनाओं, प्रगतियों, कार्यकलापों का इस अधिनियम द्वारा स्थापित मांगों एवं अधिकारों के उल्लंघन की निहित क्षमता का पुनरावलोकन करेगी।

3. परियोजना प्रत्यादेश—यदि अथॉरिटी को लगता है कि इस अधिनियम द्वारा स्थापित मांगों एवं अधिकारों का उल्लंघन प्रस्तावित किसी परियोजना, प्रगति अथवा गतिविधि के कारण हुआ है, तब संघीय सरकार उन परियोजनाओं, प्रगतियों एवं क्रियाकलापों को न तो क्रियान्वित करेगी, न प्राधिकृत करेगी और न ही अनुमति प्रदान करेगी।

धारा – 3 गंगा नदी बेसिन स्वास्थ्य के आंकड़े

1. गंगा नदी बेसिन स्वास्थ्य के आंकड़े— गंगा नदी बेसिन अथॉरिटी गंगा नदी बेसिन के स्वास्थ्य व सम्बद्धन से सम्बन्धित जन-सुलभ आंकड़ों का रखरखाव करेगी तथा निरंतर उनका नवीनीकरण भी करेगी। ये आंकड़े प्राथमिक पारिस्थितिकी तंत्र की पहचान करेंगे, गंगा नदी बेसिन में प्राकृतिक समुदायों की परख करेंगे, उनको मान्यता देंगे, जिनका मानवीय क्रियाकलापों द्वारा क्षय किया गया है तथा इसके फलस्वरूप रेखांकित आंकड़ों का प्रयोग करके गंगा नदी बेसिन, पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक समुदायों के सामान्य स्वास्थ्य का निर्धारण करेंगे।

2. आंकड़ों की उपलब्धता—अथॉरिटी पारिस्थितिकीय आंकड़ों को जनता के लिए इण्टरनेट पर निःशुल्क उपलब्ध करायेगी। ये आंकड़े निजी क्रियाकलापों के उपयोग हेतु उपलब्ध होंगे।

धारा – 4 राष्ट्रीय गंगा नदी सुरक्षा बल

1. राष्ट्रीय गंगा नदी सुरक्षा बल की स्थापना—अथॉरिटी में राष्ट्रीय गंगा नदी सुरक्षा बल की स्थापना की जायेगी, जिसे राष्ट्रीय गंगा नदी सुरक्षा पुलिस के नाम से जाना जायेगा और अब से गंगा नदी पुलिस कहा जायेगा।

2. गंगा नदी पुलिस का उद्देश्य—गंगा नदी पुलिस का उद्देश्य इस अधिनियम द्वारा स्थापित गंगा नदी बेसिन के अधिकारों की सुरक्षा एवं संरक्षा है। यह पुलिस इस अधिनियमों के सम्भावित उल्लंघन के बारे में जाँच पड़ताल संचालित करेगी। ऐसी जाँच पड़ताल को क्रियान्वित करने के लिए गंगा नदी

पुलिस को छानबीन करने और किसी दोषी व्यक्ति, अधिकारी, संस्था के सदस्य को गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत किया जायेगा।

3. गंगा नदी सुरक्षा थाना —गंगा नदी सुरक्षा थाने अब से "सुरक्षा थाना" की स्थापना की जायेगी, ताकि गंगा नदी पुलिस कर्मियों को कार्यक्रम लागू करने और विश्लेषण के केन्द्र उपलब्ध कराये जा सकें। सुविधाओं में जल गुणवत्ता विश्लेषण प्रयोगशाला एवं प्रति केन्द्र एक विश्लेषक उपलब्ध होगा। विश्लेषक का कार्य होगा कि वह जाँच पड़ताल से सम्बन्धित कदम उठाये जो शिकायत के परिप्रेक्ष्य हो तथा जल गुणवत्ता का नियमित अध्ययन करे।

4. प्रवर्तन एवं जाँच पड़ताल हेतु सन्दर्भित सूचना — इस अधिनियम के अध्याय 5 के धारा-1 के अन्तर्गत अथॉरिटी को प्राप्त प्रार्थना पत्र को, अथॉरिटी द्वारा जाँच पड़ताल की कार्यवाही के लिए गंगा नदी पुलिस को भेजा जायेगा।

5. दायित्व —गंगा नदी पुलिस, अथॉरिटी के प्रति जवाबदेय होगी और नियमित रिपोर्ट भेजेगी। यह रिपोर्ट जनता के लिए उपलब्ध होगी।

धारा – 5 संसद को रिपोर्ट

1. रिपोर्ट को संसद में भेजना —संसद के आग्रह पर अथॉरिटी न्यायालय में विचाराधीन मामलों के विषय में संसद को जानकारी प्रदान करेगी तथा संसद के कहने पर संसद के सम्मुख उपस्थित होगी।

2. संसद को वार्षिक रिपोर्ट —प्रत्येक वर्ष की पहली अप्रैल को अथॉरिटी द्वारा संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी, जिसमें इस अधिनियम के तहत लाये जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा, विचाराधीन कार्यों की प्रगति पर रिपोर्ट संलग्न होगी। यह रिपोर्ट इण्टरनेट पर जनता को निःशुल्क उपलब्ध रहेगी।

अध्याय ग्यारह सामुदायिक सहभागिता

धारा 1 —सामुदायिक प्रवर्तन एवं निरीक्षण

1. स्थापना —गंगा नदी बेसिन एवं स्थानीय समुदायों के बीच अभिन्न रिश्तों को पहचानते हुए तथा गंगा नदी बेसिन के स्वास्थ्य सम्वर्द्धन को पुनर्स्थापित करने में सामुदायिक सम्मिलन को सुनिश्चित व प्रेरित करने के लिए, अथॉरिटी समुदाय व नागरिक प्रवर्तन एवं निरीक्षण के लिए एक कार्यक्रम की स्थापना करेगी। इस कार्यक्रम का नाम गंगा सुरक्षा प्रणाली होगी, जिसे जी. पी. एस. भी कहा जायेगा। जी. पी. एस. के सदस्य के रूप में स्थानीय नागरिक जिन्हें जी. पी. एस. मॉनिटर के रूप में जाना जायेगा, क्षेत्र पर्यवेक्षक एवं गंगा नदी बेसिन के प्रबन्धक के रूप में कार्य करेंगे।

2. जी. पी. एस. मॉनिटर की योग्यता— सभी जी. पी. एस. मॉनीटर्स शिक्षित एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे। वे किसी भी उद्योग, अभिकरण, लोग, संगठन अथवा संघ जो गंगा नदी बेसिन का गैर कानूनी कार्यों के लिए उपयोग करते हैं, अथवा लाभ के लिए प्रयत्न करते हैं, से व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक गठजोड़ नहीं करेंगे। लघु स्तरीय पारिवारिक पशुबाड़ा व खेती तथा लघु स्तर पर घरात मिल्स इसके अपवाद रहेंगे।

3. जी. पी. एस. मॉनिटर की भूमिका एवं दायित्व – जी. पी. एस. मॉनीटर्स सम्पूर्ण गंगा नदी बेसिन का निरीक्षण करेंगे। एक जी. पी. एस. मॉनिटर की जिम्मेदारी होगी कि पूरे बेसिन में गंगा नदी व उसकी सहायक नदियों के 500 मीटर के क्षेत्र में प्रबन्ध नियोजन व निरीक्षण का कार्य करे, ताकि सम्पूर्ण बेसिन का निरीक्षण किया जा सके। ऐसा करते समय प्रत्येक जी. पी. एस. मॉनिटर प्रतिदिन अपने क्षेत्र को देखेगा तथा 500 मीटर क्षेत्र का लिखित व चित्रित साप्ताहिक विवरण प्रस्तुत करेगा। जी. पी. एस. द्वारा संचालित गतिविधियों में माह में दो बार जल गुणवत्ता विश्लेषण, कानून प्रवर्तन अधिकारियों से समन्वयन सम्मिलित है, ताकि सम्भावित उल्लंघन की सूचना प्रेषित की जा सके। मॉनीटर्स गंगा से जुड़ी जागरुकता के लिए जिम्मेदार होंगे तथा अपने समुदाय के साथ स्वयंसेवी गतिविधियों का भी संचालन करेंगे। अपने समुदाय के स्वयंसेवकों के साथ मिलकर मॉनीटर्स सुरक्षात्मक तरीकों को लागू करने व रखरखाव के लिए भी जिम्मेदार होंगे, जिसमें जल संरक्षण वाले पौधों का वृक्षारोपण एवं गंगा नदी के किनारे से कचरे को हटाना भी शामिल है।

4. जी. पी. एस. के आंकड़ों का रखरखाव— जी. पी. एस. मॉनीटर्स के द्वारा एकत्रित आंकड़ों को इस अधिनियम द्वारा स्थापित गंगा नदी बेसिन स्वास्थ्य के डाटाबेस में एकत्रित किया जायेगा।

5. जी. पी. एस. मॉनीटर्स का प्रशिक्षण— अथॉरिटी द्वारा जी. पी. एस. प्रशिक्षण कार्यक्रम की रचना व क्रियान्वयन किया जायेगा। इस कार्य में अन्य शासकीय अभिकरणों, शैक्षिक संगठनों, नागरिक संस्थाओं एवं एन. जी. ओ. की मदद ली जायेगी अथवा उनके साथ मिलकर कार्य किया जायेगा।

6. कार्यवाही एवं कानूनी निवेदन की प्रार्थना— इस अधिनियम के अध्याय 5 के अधीन प्रदत्त अधिकारों के तहत मॉनीटर्स किसी भी कार्यवाही के लिए अथॉरिटी को प्रार्थना पत्र देंगे। वे वादी पक्ष के रूप में भी कार्य करेंगे तथा इस अधिनियम के अधीन उपयुक्त न्यायिक क्षेत्र वाली अदालत में मुकद्दमा भी करेंगे, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या अधिकारों का उल्लंघन किया गया है अथवा किया जायेगा।

अध्याय बारह अपराध एवं दण्ड

धारा 1 – अपराध एवं दण्ड

1. जो व्यक्ति सूचना देता है या एकत्रित करता है उसको प्रताड़ित करना, घूस देना, नुकसान पहुँचाना इस अधिनियम के तहत अपराध माना जायेगा। ऐसा अपराध करने वाले को सात वर्ष की सजा तथा 500 से 1 करोड़ रुपये तक, या इससे अधिक राशि, जैसे उपयुक्त न्यायालय निर्देश दें, का आर्थिक दण्ड दिया जायेगा। यदि अपराध स्वीकार कर लिया जाता है व सुधार के लिए लिखित रूप से क्षमा माँग ली जाती है तो सेक्शनल मॉनिटरिंग एक्ट इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का कार्यकारी अधिकारी सजा को माफ कर 500/- रुपये आर्थिक दण्ड कर सकता है। इसमें कारागार की सजा कम भी हो सकती है और नहीं भी।

2 –यदि कोई निगम, निगम के अधिकारी, व्यक्ति तथा अन्य इस अधिनियम द्वारा स्थापित अधिकारों का उल्लंघन करते हुए पाये जाते हैं या इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करते हैं, जिसमें वो क्रियाकलाप शामिल है, किन्तु इन्हीं तक सीमित नहीं है, जिनसे जल प्रवाह पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जल की गुणवत्ता में कमी आती है अथवा प्राकृतिक पर्यावरण का नुकसान होता है तो वे इस कार्यकलाप के कारण पारिस्थितिकी तंत्र व प्राकृतिक समुदायों को पहुँचे नुकसान की भरपाई के लिए पूर्णतया जिम्मेदार होंगे तथा उन्हें 6 माह से लेकर 7 वर्ष तक की सजा होगी और/अथवा एक लाख से लेकर 10 करोड़ तक, या इससे अधिक राशि, जैसे उपयुक्त न्यायालय निर्देश दें, का आर्थिक दण्ड अदा करना पड़ेगा।

3 –बार–बार दोहराये जाने वाले और/अथवा लगातार किये जाने वाले अपराध के मामले में दिन व दिन अर्थ दण्ड लगाया जायेगा और यह प्रतिदिन लगाया जाने वाला दण्ड दुगना, तिगुना अथवा अधिक हो सकता है, यदि अपराध लगातार किया जाता है। यह अपराध की कठोरता पर निर्भर करता है। यह कि इसका कोई उपचार नहीं किया जाना चाहिए था तथा न ही किया गया है। इन अपराधों से गंगा नदी बेसिन, इसके जीवन स्वरूप तथा इसके आसपास के क्षेत्र को निरन्तर नुकसान पहुँचा है।

4 –निगम, उद्योग, सरकार तथा निजी प्रदूषणकर्ता एवं नुकसान पहुँचाने वालों से सम्बन्धित फोटोग्राफ्स (चित्र) अथवा सूचनायें जनता के लिए इण्टरनेट पर उपलब्ध होगी। ऐसी सूचनाओं को न्यायालय तथा मीडिया को भी उपलब्ध कराया जाएगा तथा जन-जागरुकता अभियानों में इनका प्रयोग किया जायेगा।

अध्याय तेरह भ्रष्टाचार पर नियन्त्रण

धारा 1 –अभियोजन

1. जन कर्मी, राजनीतिक नियोजी तथा चयनित अधिकारी वर्ग जो इस अधिनियम के प्रवर्तन व क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं वे भारत के एटॉर्नी जनरल द्वारा अभियोजन के अधीन होंगे यदि वे उन कार्यकलापों या गतिविधियों में लिप्त हैं, पाये जाते हैं, जिनसे गंगा नदी बेसिन एवं इस अधिनियम द्वारा स्थापित अधिकारों पर बुरा प्रभाव पड़ता है । इसमें घूस लेना और देना भी शामिल है।

अध्याय चौदह विनियोग

धारा 1– विनियोग

1. इस अधिनियम के पूर्ण प्रवर्तन व क्रियान्वयन के लिए जरूरी वार्षिक धन की व्यवस्था संसद करेगी।